

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 131/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

## उनवान

- 1 अनार पुत्री निजामुदीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 चोंद पत्नि स्व. निजामुदीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 जरीना पुत्री निजामुदीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 रजिया पुत्री निजामुदीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 रफीक पिता निजामुदीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 6 हनीफ पिता निजामुदीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 7 हफीज पिता निजामुदीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा

## बनाम

- 1 खाना पिता लाला नाई उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 प्रभू पिता लाला नाई उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 काना पिता लादू कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 गोपाल पिता नन्दा कुमावत उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 राजु पिता गजू तेली उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 6 कासम पिता चान्द पिनारा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 7 प्यारा पिता हजारी पिनारा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 8 बरजी पत्नि लाला लोदा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 9 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला भीलवाड़ा

----- ( प्रार्थी )

----- ( अप्रार्थीगण )

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्रीमती मदीना बानू

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

## निर्णय

दिनांक - 05.04.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 19.07.2022 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ.नि. धनोप तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 235 के आ.न. 319, 320, 338, 345, 347/4244 किता 5 रकबा 1.08 हैक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ.नि. धनोप तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 235 के आ.न. 319, 320, 338, 345, 347/4244 किता 5 रकबा 1.08 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी  
फूलियाकला, जिला भीलवाड़ा